न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

मिसल नंबर 4/14 दायरा दिंनाक 08.10.2014

उनवान :–

मदनमोहन पुत्र हरिनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम कन्दाफल तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

अपील बनाराजगी आदेश ग्राम पंच0यत देवली इंतकाल नंबर 357 दिंनाक 20.10.2011 ग्राम देवली

निर्णय कोर्ट केम्प देवली दिंनाक 02.06.2015

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत देवली के इन्तकाल सं. 357 दिनांक 20.10.11 की अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट की मां के खाते की आराजी ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास में स्थित है। प्रार्थी की मां का देहान्त होने पर उसका फोती इन्तकाल तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत देवली द्वारा प्रार्थी का नाम मदन मोहन होते हुए भी इन्तकाल में सजरा बनाते समय मदनमोहन के स्थान पर मदनगोपाल लिखा गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी ग्राम पंचायत से प्रमाणित उत्तराधिकारियों की सूची पेश की है। फिर भी ग्राम पंचायत देवली द्वारा अपने आदेश में बिना जांच किये ही प्रार्थी का नाम मदनगोपाल लिखकर तस्दीक कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थी की मां रामजानकी का फोती इन्तकाल रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन देवली पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2010 इसके साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत ढोटी द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी का नाम मदनमोहन अंकित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशन कार्ड संख्या 1530 दिनांक 01.05.1999 की फोटो प्रति पेश की गयी है। जिसमें भी मदनमोहन अंकित किया हुआ है। इस त्रुटिपूर्ण इन्तकाल को निरस्त करवाकर रेकार्ड में अपना नाम ठीक करवाने या प्रार्थी के लिये दूसरा इन्तकाल खुलवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 357 दिनांक 20.10.2011 को निरस्त करते हुए दूसरा इन्तकाल दर्ज कराने या फिर प्रार्थी का गलत इन्द्राज नाम ''मदनगोपाल'' के स्थान पर ''मदनमोहन'' अंकित किये जाने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास को नोटिस जारी किया गया।

प्रार्थी के निवेदन करने पर पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर देवली में सुनवाई हेतु रखी गयी। तहसीलदार कनवास का जवाब लिया गया। पेरोकार सरकार की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नायब तहसीलदार कनवास द्वारा प्रार्थी की अपील में समस्त बिन्दुओं में बिन्दु संख्या 1, व 4 को स्वीकार किया है। जवाब में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि वादी का सही नाम राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या AJRO378067 में ''मदनमोहन'' अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की है जिसमें भी प्रार्थी का नाम ''मदनमोहन'' ही अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 357 निर्णय दिनाक 20.10.2011 से वादी की माता रामजानकी बाई की मृत्यु उपरान्त स्वीकार हुआ हैं उसमें मृतका के उत्तराधिकारियों में क्रमशः बृजगोपाल पुत्र, बृजेश कुमारी पुत्री के नाम सही है एवं वादी का नाम मदनमोहन के स्थान पर मदनगोपाल गलत दर्ज हुआ है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम गलत इन्द्राज मदनगोपाल के स्थान पर ''मदनमोहन'' दर्ज करने की अनुशंषा की है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब का गहनता से अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम पंचायत देवली द्वारा तस्दीक इन्तकाल नं. 357 दिनाक 20.10.2014 में अपीलार्थी की माता रामजानकी की मृत्यु के उपरान्त अन्य उत्तराधिकारियों के साथ प्रार्थी का नाम मदनमोहन के स्थान पर ''मदनगोपाल '' गलत दर्ज हुआ है। इन्तकाल नं. 357 पर ग्राम पंचायत देवली द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.10.2011 को निरस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मदनगोपाल के स्थान पर मदनमोहन किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम देवली के नामान्तरण संख्या 357 पर ग्राम पंचायत देवली द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.10.2011 को निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम देवली की आराजी खसरा नंबर 186/9.47 पर मृतका रामजानकी पत्नी हरिनारायण के स्थान पर उसके जायज वारिसान बृजगोपाल, मदनमोहन, बृजेश कुमारी, पिसरान हरिनारायण जाति धाकड सा0 खेडली कन्दाफल का नाम हिस्सा 18/58 में हि0ब0 खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कनवास को पालना हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनाक 02.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास